अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 117/2012

मनोज कुमार सिंह,

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढ़ौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, के ज्ञापांक 2412 दिनांक 08.08.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01. 2012 को जिला स्तरीय जॉच दल द्वारा जॉच दल सं0–23 श्री विश्वनाथ मुखर्जी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा विक्रेता की दूकान की जॉच की गई। जॉच के क्रम में विक्रेता की दूकान से संबंधित निम्न अनियमितताएँ पाई गई– 1. लाभूकों की सूची प्रदर्शित नही। 2. संयुक्त नमूना प्रदर्शित नही। 3. पंजी अनुमंडल जमा रखाना। 4. निरीक्षण/शिकायत पंजी का संधारण नही। 5. कैशमेमो नहीं देना। 6. प्रतिलीटर 17 रूप्ये किरासन तेल देना इत्यादि। अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 496 दिनांक 19.03.2012 से विक्रेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 2412 दिनांक 08.08.2012 से विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।	

Supply judgement :Amar Kumar

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। विक्रेता को जॉच की तिथि 10.01.2012 तक लाभूकों की सूची प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए वह प्रदर्शित नही थी। संयुक्त नमूना डब्बा में नही था, उसे प्लेट में रख कर दिखाया गया था। अनुज्ञापन पदाधिकारी से प्राप्त आदेश के आलोक में सभी पंजी एवं कागजात अनुमंडल कार्यालय में जमा किया गया था, जिसकी प्राप्ति रशीद जवाब के साथ संलग्न है। कैशमेमों आलमीरा में बन्द था, जिसकी चाभी परिवार के एक सदस्य के द्वारा लेकर बाहर चले जाने की वजह से कैशमेमो जॉच दल को दिखाना संभव नही हो पाया। विक्रेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख मे रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2412 दिनांक 08.08.2012) मे कई त्रुटियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में कही भी आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित नही किया गया है। इस तरह कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विक्रेता से प्राप्त जवाब में यदि कोई कमी पाई गई या विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में कोई त्रुटि पाई गई, तो यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता से द्वितीय कारण पृच्छा किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए, यह वाद इस निर्देश के साथ अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा को **रिमांड** किया जाता है कि वे विक्रेता से पुनः चिन्हित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछे, शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं से संबंधित पूर्ण विवरणी उन्हें

उपलब्ध कराई जाए, अपने स्तर से सुनवाई की जाए एवं आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विधिसम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 485 / दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी ,मढ़ौरा, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिल विधि शाखा,
सारण, छपरा।

Supply judgement :Amar Kumar